गया है कि 100 से भी अधिक प्रमुख सिचाई परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलम्ब के कारण उन पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा और यदि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाता तो 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिचाई हो सकती थी ; और

(ख) इस से संबंधित तथ्य क्या हैं, विलम्ब के कारणों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध क्या कार्यवाही की जा रही है या की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों मे प्रकाशित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है । इन परियोजनाओं के मूल अनुमानों और सशोधित अनुमानों के बीच लगभग 5000 करोड़ रुपए का अन्तर है । यदि ये परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली गई होती तो लगभग 51 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित हो जाती । लेकिन इन परियोजनाओं की लागत के बढ़ जाने का एकमेव कारण निर्माण मे विलम्ब होना नही है विलम्ब के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है :—

(1) अलग-अलग परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन का उपलब्ध न होना ।

(2) राज्यो द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया जाना, जिसके परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय बल्कि प्रबंधकीय और तकनीकी साधन भी बंट गए ।

(3) परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हो जाना, जिसका कारण श्रम, सामग्री, उपस्करों, फालतू कल-पुर्जो, भूमि आदि की कीमत में होने वाली आम भारी बढ़ौत्तरी थी ।

(4) परियोजनाओं को हाथ मे लिए जाने से पहले उनका पूरी तरह से अन्वेषण न किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप उनके क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्कोप में भारी परिवर्तन होना, जिसमें जल-निकास प्रबंध और कमान क्षेत्रों को बाढ़-सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है ।

(5) भूमि प्राप्त करने में कठिनाई ।

(6) सीमेंट, इस्पात, विस्फोटको, मशीनरी, अतिरिक्त कल-पुर्जो, विदेशी मुद्रा, आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों का उपलब्ध न होना ।

(7) परियोजनाओं के निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयां जैसे प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक स्थिति, अभूतपूर्व और असामयिक बाढ़ें, आदि ।

(8) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित निर्माण, डिजाइन और अन्य संगठनों की स्वीकृति मिलने मे विलम्ब ।

इस स्थिति को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) मे जो कुछ नीतियां अपनाई जा रही है, वे है : निर्माण-सामग्री के लिए अग्रिम आयोजन करके, परियोजना-संगठनो को सुदृढ़ बनाकर और निर्णय के लिए उच्चस्तरीय तंत्र की स्थापना करके सभी निर्माणाधीन स्कीमों को समय-बद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देना ।

आकाशवाणी के पटना केन्द्र का विकसित किया जाना

268. **श्रीमती कृष्णा साहीः** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की पटना केन्द्र के चहुंमुखी विकास तथा

उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी):

(क) और (छ). आकाशवाणी पटना के लिए एक मात्र स्वीकृत योजना 2 संगीत स्टूडियो, 1 नाटक स्टूडियों, 1 वार्ता स्टूडियों, 2 पार्श्व स्टूडियो, 2 डबिंग रूम और एक रिकार्डिंग रूम तथा अन्य सम्बंधित सुविधाओं से युक्त नए स्थायी स्टूडियों के निर्माण के लिए है। इन नए स्टूडियों के दिसम्बर, 1983 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है ।

आकाशवाणी के कलाकारों के लिए पेंशन

269. श्री कृष्णचन्द्र पांडे:

श्री चिरंजी लाल शर्मा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पेंशन के सम्बन्ध में 15 जुलाई 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4235 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को पेन्शन के लाभ कब दिए जायेंगे और अंतिम निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ख) युवकों और नई प्रतिभा को अवसर देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के इस श्रेणी के अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पर सरकार द्वारा सेवा निवृत्त न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) कार्यक्रम अधिकारियों को तरफ उन सभी कलाकारों को एक श्रेणी में न मिलाये जाने के क्या कारण हैं, जहां कार्य नियमित है ; और

(घ) क्या प्राडक्शन संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति की वे सब सुविधायें उपलब्ध नही होती जो नियमित कार्यक्रम अधिकारियों को उपलब्ध है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है और यह विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी):

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों, जो इस समय संविदा कर्मचारी हैं, को नियमित सरकारी कर्मचारियों में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो स्टाफ आर्टिस्ट स्वत: ही पेंशन पाने के पात्र बन जायेंगे ।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधायें 58 वर्ष की आयु तक दी जाती है । इस आयु को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी प्रतिभा और अनुभव का, दक्षता के अनुरूप अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके ।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा किए जा रहे कार्य को मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । इसलिए उन सभी को एक ही श्रेणी में मिलाना संभव नहीं है ।

(घ) निर्माण संवर्ग के स्टाफ आर्टिस्टों को इन पदों के लिए निर्धारित भर्ती